Crim-1
FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान तहसीलदार बनाम राजेश

किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136

मुकदमा नम्बर 639/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थिया ने भूमि खाता संख्या 21 वाके ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का दहलोद तहसील निवाई की जमबान्दी संलग्न कर, अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर बाबूलाल करवाने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का दहलोद व भू.अ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट में भी प्रार्थिया के पिता का नाम प्रहलाद के बजाय बाबूलाल होना बताया जाकर, शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। तथा तहसीलदार निवाई द्वारा भी प्रार्थिया के पिता का नाम प्रहलाद के बजाय बाबूलाल शुद्ध किये जाने हेतु लिखा गया है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का दहलोद एवं भू.अ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्यूक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर बाबूलाल शुद्ध कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई(टोंक)	